कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई, सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी)
Office of the Executive Engineer PMGSY, I.D. Purola (Uttarkashi)
E-Mail : eepmgsypurola@rediffmail.com Tel.No. : 01373-223730

पत्रांक–382/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0 दिनांक 22/03/2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी,
इन्दिरा नगर ,फरेस्ट कॉलोनी, देहरादून

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग (28.100 किमी0) के निर्माण हेतु 22.2165 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के सम्बन्ध में (FP/UK/ROAD/43650/2019)।**

सन्दर्भः– **आपका पत्रांक संख्या– 1057/FP/UK/ROAD/43650/2019 , दिनांक 09.10.2020 एवं भारत सरकार सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक–88/UCP/06/80/2020/FC/1415 दिनांक 30.09.2020।**

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें जिसमें की आपके द्वारा स्टेज–I की अनुपालन आख्या पत्र इस कार्यालय में प्रेषित किया गया था , जिस कम में अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार है–

1. क0स0 1 के कम में वनभूमि की विधिक परिस्थिति यथावत् रहेगी।
2. क0स0 1 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण हेतु गैर वन भूमि का स्थानान्तरण हो चुका है।(साक्ष्य सलग्न है)।
3. (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत (44.433हे0) हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग द्वारा आंकलित लागत का भुगतान सम्बन्धित खाते में किया जा चुका है।(साक्ष्य सलग्न है)।
4. गैर वानिकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है।(साक्ष्य सलग्न है)।
5. क0स0 5 के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्युनतम पेड़ो की कटाई की जायेगी पेड़ो की संख्या 172 से अधिक नहीं होगी। पेड़ो की कटाई की लागत प्रयोक्ता खण्ड द्वारा वहन की जायेगी।
6. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राष्टीय पार्क की 10 गुना एन0पी0वी0 धनराशि जमा कर दी गयी है।(साक्ष्य सलग्न है)
7. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जोनल मास्टर प्लान एवं भागीरथी ईको सेन्सिटिव जोन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
8. स्टेज–II के कार्य से पूर्व पेड़ कटान से सम्बन्धित सभी आर्डर राज्य सरकार से प्राप्त किये जायेगें।
9. प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दिया गया है।
10. FRA-2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर के प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
11. संरक्षित /वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर विनियन साईनेज लगाए जायेगें।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार , आदेशो का पालन किया जायेगा।
13. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नहीं बदला जायेगा।
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों को विशेषत वैकल्पिक ईधंन दिया जायेगा।
16. संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।

18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो ,लक्षित किया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रत्यार्वतन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।
21. वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में निहित शर्तो का उल्लंघन किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। उल्लंघन की दशा में उचित कार्यवाही हेतु बाध्य है।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
23. विभाग द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 में मलवा निस्तारण हेतु उचित स्थानों पर Dumping Plan का प्राविधान किया गया है जिसमें उक्त स्थान पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कर मलवे को स्थिर किया जायेगा एवं मलवा निस्तारण स्थानों पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर इनका स्थिरीकरण कार्य किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नहीं की जायेगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

अतः उपरोक्त शर्तो के अनुपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 22.2165हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन के कम में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित।

O/c

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

पत्रांक382/पी0एम0जी0एस0वाई0/सिं0ख0/पुरोला /तदिनांक
प्रतिलिपि– उपनिदेशक गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/c

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,सिंचाई खण्ड
पुरोला (उत्तरकाशी)

:: आदेश ::

अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0,सि0ख0, पुरोला द्वारा अपने पत्र संख्या 748/पी0ए0-पत्रा0 विविध/2020 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा अवगत कराना गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड, मोरी में सौड़ से ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 44.433 है0 भूमि ग्राम औसला के सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु गोविन्द वन्य जी विहार/राष्ट्रीय पाक, पुरोला के पक्ष में हस्तान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 44.433 है0 ग्राम औसला सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित)जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अत: इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी,पुराला द्वारा अपने पत्र संख्या 139/रा.का. -क्षति0 वृक्षा0रो0प्रस्ता0/2020 दिनांक 14 अक्टूबर 2020 के द्वारा अवगत कराया गया है, कि विकास खण्ड मोरी के अन्तर्गत ओसला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 28.100 हे0 भूमि के बदले दुगुनी 44.433 हे0 वनभूमि का वन सरक्षण अधिनियम-1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 सि0ख0,पुरोला का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव मांगा गया के क्रम में तहसीलदार पुरोला/राजस्व उप निरीक्षक गगाड से जांच करवायी गयी है। तहसीलदार,पुरोला/राजस्व उप निरीक्षक गंगाड द्वारा अपनी जांच आख्या में अवगत कराया गया है, कि उक्त मोटर मार्ग निर्माण के बदले ग्राम ओसला की नॉन जेड0ए0 खाता संख्या-64 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की वर्ग 9 (3) ड. में दर्ज खसरा सं0 2 रक्वा 5.787हे0,खसरा सं0 49 रक्वा 4.581हे0, खसरा संख्या: 3362 रक्वा 7.031हे0, खसरा संख्या:3449 रक्वा 2.879हे0,खसरा सं03451 रक्वा 0.255हे0, खसरा सं0 3470 रक्वा 6.620हे0,खसरा संख्या: 3472 रक्वा 4.213हे0,खसरा संख्या:3474 रक्वा 6.440हे0, खसरा संख्या: 3502 रक्वा 4.323हे0, खसरा संख्या:3505 रक्वा 0.304हे0, खसरा संख्या:3772 रक्वा 1.093हे0 एवं खसरा संख्या: 3774 रक्वा 1.535 भूमि प्रस्तावित की गयी है। प्रस्तावित भूमि क नक्शे, खसरे एवं खतौनी की प्रति संलग्न कर इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

अत: उप जिलाधिकारी, बडकोट/तहसीलदार, बडकोट से प्राप्त आख्या अनुसार ग्रा ओसला तहसील पुरोला की. नॉन ज्येड0ए0 खाता संख्या-64 उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व की व 9(3)ड. में दर्ज खसरा सं0 2 रक्वा 5.787हे0,खसरा सं0 49 रक्वा 4.581हे0, खसरा संख्या: 336 रक्वा 7.031हे0, खसरा संख्या:3449 रक्वा 2.879हे0,खसरा सं03451 रक्वा 0.255हे0, खसरा सं 3470 रक्वा 6.620हे0,खसरा संख्या: 3472 रक्वा 4.213हे0,खसरा संख्या:3474 रक्वा 6.440हे खसरा संख्या: 3502 रक्वा 4.323हे0, खसरा संख्या:3505 रक्वा 0.304हे0, खसरा संख्या:3772 रक्व 1.093हे0 एवं खसरा संख्या: 3774 रक्वा 1.535है0 भूमि प्रस्तावित की गयी है। शासनादेश संख 260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 शासनादेश संख्या:111/XXVII(7)50(39)/201 2014 दिनांक 09.07.2015 तथा शासनादेश संख्या 1887/XVIII(II) 2015-18(169)/2015 दिनांक30

क्रमश:

जुलाई, 2015 में निहित व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन हस्तान्तरण किये जाने की व्यवस्था दी गयी है। रिट याचिका संख्या 2764/2011 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2017 आच्छादित नहीं है।

अतः प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार उक्त भूमि को गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क,पुरोला को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त भूमि को नामान्तरित/हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

दिनांक 21.10.2020

ह0/-मयूर दीक्षित
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी

कार्यालय- जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्याः 767 /ग्यारह-विविध (2020-21) दिनांक 03 नवम्बर,2020

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप जिलाधिकारी, पुरोला।
2. निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क,पुरोला।
3. तहसीलदार, पुरोला।
4. अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0,सि0ख0, पुरोला।

अपर जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।
3/11/2020

Online payment history made by User Agency under CAMPA

▿ Help

◉Proposals received on or after 15th July 2014

GET LIST

Sno.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/43650/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/43650/2019) Construction of Saur to Osala motor road	ROAD436502019664	6143650664	30 Sep 2020	CA: 14982097/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 145962405/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 160944502/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 28 Oct 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 03 Nov 2020 Transaction Date : 10 Mar 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/101123122612159AOB: Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanC(pid=ROAD436502019664)
2	FP/UK/ROAD/29640/2017 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/29640/2017) Construction of Banas to Durbil Motor Road.	ROAD296402017572	6129640572	21 Oct 2020	CA: 1415635/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 1825200/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 3240835/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 20 Nov 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 21 Nov 2020 Transaction Date : 25 Jan 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/111119 Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanC(pid=ROAD296402017572)
3	FP/UK/ROAD/41387/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/41387/2019) RAMA TO SYALUKA	ROAD413872019505	6141387505	24 Jul 2020	CA: 3058934/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3832920/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 6891854/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 10 Aug 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 12 Aug 2020 Transaction Date : 08 Oct 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/811512: Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanC(pid=ROAD413872019505)
4	FP/UK/ROAD/34189/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/34189/2018) Construction of Odata to Saras Motor Road in Block Mori, District Uttarkashi, Under PMGSY.	ROAD341892018621	6134189621	31 Jan 2020	CA: 2353238/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 3243533/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 5596771/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 18 Feb 2020 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 26 Feb 2020 Transaction Date : 29 Feb 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/2111312581211F7WFO Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanC(pid=ROAD341892018621)
5	FP/UK/ROAD/33852/2018 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/33852/2018) Mori to Saira Motor Road Under PMGSY	ROAD338522018079	6133852079	01 Nov 2019	CA: 6613099/- , Addl CA : 0/- PCA: 0/- , CAT : 0/- Safety Zone: 0/- , Addl PA : 0/- NPV: 9115015/- , Other Charges : 0/- Other Charges1 : 0/- Other Charges2 : 0/- Other Charges3 : 0/- Total : 15728114/-	Paid	Fund Demand Verified by Nodal Officer On : 13 Nov 2019 Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 15 Nov 2019 Transaction Date : 06 Jan 2020	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/11119124612l239Y4LD NPV_MoritoSalra.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_ChallanC(pid=ROAD338522018079)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT- UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr Ashish Kumar Chauhan I.A.S deputy commissioner, Uttarkashi on dated 02.07.20...at time 11:00 at Uttarkashi in which application claiming rights in R.F. area measuring 22.2165 hect for the construction of Saur to Osla Motar Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of Purola/Mori......... .sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

Place; Uttarkashi
Dated: 02.07.20

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committe

मूलेख प्रपत्र सं० प-11

३३६४	०.२५६
३३७७	०.७१६
३३८०	०.१५१
३३३२	०.३५२
३३४४	०.६३२
३४०६	०.०२६
३४४३	०.१७४
३४४६	०.१६१
३४४८	०.२१६
३४४९	२.८७९
३४५१	०.२५५
३४५६	०.२२४
३४७०	६.६२०
३४७२	४.२१३
३४७४	६.४४०
३४७६	०.६२५
३४६१	०.०२३
३५००	०.३७२
३५०२	४.३२३
३५०५	०.३०४
३५०७	२.२२७
३५१०	०.०६१
३५१२	०.०४५

मु० आ० जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी कार्यालय पत्र संख्या 767/ग्यारह-विविध (2020-21) दिनांक 03 नवम्बर-2020 के द्वारा ग्राम ओसला मध्य खसरा नं० 2/5.787 है०, खसरा नं० 49/1.000 है० खसरा नं० 3362/7.031 है०, 3449/2.879 है०, 3451/0.255 है०, 3470/6.620 है०, खसरा नं० 3472/4.213 है० खसरा नं० 3474/6.490 है०, खसरा नं० 3502/4.276 है० खसरा नं० 3505/0.304 है०, खसरा नं० 3772/1.093 खसरा नं० 3774/1.535 है० कुल रकबा-44.433 है० भूमि सौड से ओसला मोटर मार्ग के निर्माण हेतु गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क पुरोला (वन विभाग) के पक्ष में प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है दर्ज किया

[signature] 25/3/2021

३५२८	०.०२४
३५३३	०.०११
३५४३	०.०५०
३५५०	०.०६०
३५५६	१.१२३
३५७६	०.१४३
३६०३	०.०२६
३६१४	०.०५८
३६१६	०.०६१
३६२३	०.०७८
३६४९	०.००९
३६५६	०.०३६
३६७७	०.००९
३६९७	०.०७३
३७०२	०.०२०
३७२८	०.०९०
३७३३	०.८२०
३७५०	०.२६१
३७५२	०.४३१
३७५९	०.०३५
३७६५	०.०९१
३७६६	०.२३५
३७९८	१.०४१

कार्यालय–उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार एंव राष्ट्रीय पार्क, पुरोला।
पुरोला,दूरभाष एवं फैक्स नं0. 01373-223433,Eail- gwlspurola@gmail.com

पत्रांक 1450 / 12-1 पुरोलाः दिनांक 25/03/ 2021

सेवामें,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून (उत्तराखण्ड)।

विषय– **जनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग(28.100) के र्निमाण हेतु 22.2165 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के संम्बध में (FP/UK/ROAD/43650/2019)।**

सन्दर्भ– **कार्यालय अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई,सिं0ख0, पुरोला (उत्तरकाशी) के कार्यालय का पत्रांक 382/पी0एम0जी0एस0वाई/सिं0ख0 दिनांक–22.03.2021।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की सन्दर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का पालन बिन्दुवार कर दिया गया है। (संलग्न–01एवं 02)

अतः उपरोक्तानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा कर दिया गया है। अतः प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय,
25/3/2021
(कोमल सिंह)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार एंव रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

पत्रांक / **समदिनांकित।**

प्रतिलिपि– (1) निदेशक/वन संरक्षक राजाजी टाईगर रिजर्व को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कोमल सिंह)
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार एंव रा०पार्क
पुरोला, उत्तरकाशी।

Other latter 02.

ाजनपद उत्तरकाशी में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अर्न्तगत सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त सौड़ से ओसला मोटर मार्ग(28.100) के निर्माण हेतु 22.2165 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के पश्चात विधिवत स्वीकृति के संम्बध में (FP/UK/ROAD/43650/2019) भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक –88 / UCP/06/80/2020/FC/1415 दिनांक–30.09.2020 में दी गयी शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार।

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्ते	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन आख्या
1.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति यथावत रहेगी।
2.	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वनभूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण हेतु गैर वन भूमि का स्थानान्तरण हो चुका है। लेकिन गैर वन भूमि सौपीं नही गयी है, पत्र लिखा गया है साथ–साथ कार्यवाही की जा रही है।(संलग्न–01)
3.	प्रतिपूरक वनीकरण : क) वनविभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 44.433 हे0 गैर वानिकी भूमि ग्राम ओंसला सिविल खसरा न0 2,49, 3362, 3449, 3451 ,3470 ,3472, 3474, 3502 ,3505 ,3772 ,3774 मे प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा।जहा तक व्यावहारिक हो ,स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लाटेशन से बचे। ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वनविभाग के पक्ष में हस्तांतरित एवं रूपांतरित किया जाएगा।भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वनविभाग के स्वामित्व से बाहर है एव प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वनअधिनियम ,1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से आरक्षित /संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है। ग) वनमंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए.क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।	(क) क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित गैर वानिकी भूमि में स्थानीय व मिश्रित प्रजाती का रोपण किया जायेगा। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जा चुका है। संलग्नक–2 कब्जा दिलाने हेतु कार्यवाही की जा रही है,पत्र लिखा गया है।संलग्नक–01
4.	शुद्ध वर्तमान मूल्य	गैर वनिकी भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण वन विभाग के नाम किया जा चुका है।(साक्ष्य संलग्न है)
(क)	इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या:202.1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002. 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ सी. (Pr.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी.दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007 –एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 22.2165 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	(क) प्रस्ताव के तहत 22.2165 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किया जा चुका है।
(ख)	विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा।प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	
5.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 172 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के संख्त पर्यवेक्षण में कटेगें । प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वनविभाग के विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा न्यूनतम पेड़ो की कटाई की जायेगी पेड़ो की संख्या 172 से अधिक नही होगी। पेड़ो की कटाई की लागत प्रयोक्ता खण्ड द्वारा वहन की जायेगी।
6.	User Agency will deposit the NPV 10 times as the proposed area Falls in National park.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा राष्ट्रीय पार्क की 10 गुना एन0पी0वी0 धनराशि जमा कर दी गयी है। (साक्ष्य संलग्न है)

7.	State Govermment and user agency may strictly comply the conditions of Zonal Master Plan and Bhagirathi Eco-Sensitve Zone notifieation.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जोनल मास्टर प्लान एवं भागीरथी ईको सेन्सिटिव जोन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
8.	State Govt. will inform this office if pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2 The State Govt.will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission .	स्टेज–II के कार्य से पूर्व पेड़ कटान से सम्बंधित सभी आर्डर राज्य सरकार से प्राप्त किये जायेगें।
9.	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (httpseparivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित /जमा किए जाएंगें।	प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में जमा कर दिया गया है।
10.	एफ आर ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफ आर ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला कलेक्टर के प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित किया गया है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगे।	संरक्षित/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर विनियन साईनेज लगाए जायेगें । अनुपालन किया जायेगा।
12.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार आदेशो का पालन किया जायेगा।
13.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउटप्लान नही बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट नही बदला जायेगा।
14.	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जाएगा। अनुपालन किया जायेगा।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकडी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मजदूरों को विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
16.	संबधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकन किया जाएगा।	सम्बंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यार्वतित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमाकन किया जायेगा।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जायेगा।
18.	इस अनुमोदन मे प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पत्र में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन मे प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा। अनुपालन किया जायेगा।
19.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनो के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतु नहीं किया जाएगा।
20.	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों विभाग अथवा व्यक्तियो को हस्तातरित नही की जाएगी।	केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित नही की जायेगी।
21.	इनमे से किसी भी शर्त का उल्लघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42.2017–FCदिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में निहित शर्तों का उल्लंघन किसी भी दशा में नही किया जायेगा।उल्लधन की दशा मे उचित कार्यवाही हेतु बाध्य, है।
22.	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीव के संरक्षण व विकास के हित में

		समय–समय पर निर्धारित शर्त लागू होगी।
23.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे।राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिरकण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा।मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएगी।निस्तारण स्थलों को राज्य के वनविभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	विभाग द्वारा स्वीकृत डी0पी0आर0 में मलवा निस्तारण हेतु उचित स्थानो पर Dumping Plan का प्राविधान किया गया है जिसमें उक्त स्थान पर आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य कर मलवे को स्थिर किया जायेगा। एवं मलवा निस्तारण स्थानों पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर इनका स्थिरीकरण कार्य किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नही की जायेगी।
24.	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद /नियम/न्यायालय आदेश /अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https; /parivesh.nic/in) पर अपलोड की जायेगी।	

उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/राष्ट्रीय पार्क
पुरोला (उत्तरकाशी)